COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

THE UNITED PROVINCES ROADSIDE LAND CONTROL ACT, 1945

UNITED PROVINCES Act No. X of 1945

INDEX

Sr. No.	Section	Section Title
1.	1	Short title, extent and commencement
2.	2	Interpretation
3.	3	Declaration of Controlled area.
4.	4	Plans of controlled areas to be deposited at certain offices.
5.	5	Restrictions on building etc., in a controlled area.
6.	6	Application for permission to build, etc. and the grant or refusal of such permission.
7.	7	Right of appeal.
8.	8	Compensation.
9.	9	Compulsory acquisition
10.	10	Amount of Compensation now determined.
11.	11	Saving for other enactment
12.	12	Prohibition of use of any land as a brick-field, etc, without license.
13.	13	Offences and penalties.
14.	14	Trial of Offences.
15.	15	Protection of persons acting under this Act.
16.	16	Savings
17.	17	Power to make rules.
18	18	The Schedule

THE UNITED PROVINCES ROADSIDE LAND CONTROL ACT, 1945[1]

(UNITED PROVINCES Act No. X of 1945)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[Prepared by His Excellency the Governor of the United Provinces in exercise of the powers assumed by him by the Proclamation, dated November 3, 1939, issued under section 93 of the Government of India Act, 1935.]

[Received the assent of the Governor of the United Provinces, on December 13, 1945, and was published in the United Provinces Gazette, on December 13, 1945.]

Preamble

WHEREAS it is expedient to regulate in the United Provinces the use of roadside land:

AND WHEREAS by the Proclamation, dated the third day of November, 1939, promulgated under section 93 of the Government of India Act, 1935, the Governor of the United Provinces has assumed to himself all powers vested by or under the aforesaid Act in the Provincial Legislature:

AND WHEREAS the said Proclamation is still in force :-

NOW, THEREFORE, the Governor, in exercise of the powers aforesaid, is pleased to make the following act:

Short title, extent and commencement

1.(1) This Act may be Called the United Provinces Roadside Land Control Act, 1945.

(2) It extends to the whole of the United Provinces, except cantonment areas.

(3) It shall come into force on such date as the Provincial Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Interpretation

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, -

(1) "agriculture" includes horticulture and the planting and upkeep of orchards ;

(2) "building" means a house, hut, shed or other roofed structure, for whatsoever purpose and of whatsoever material constructed, and every part thereof, and includes a wall or masonry platform or masonry ditch or drain, but does not include a tent or other such portable and merely temporary shelter ;

(3) "Collector" includes any authority appointed by the Provincial Government, by notification in the official Gazette, to perform all or any of the functions of the Collector under this Act ;

1 *For* statement of objects and Reasons *see* Uttar Pradesh *Gazette Extraordinary* dated September 1, 1945.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) "place of worship" includes a temple, church, mosque, imambara, dargah, karbala, takya, idgah, samadhi, math, sati ka than or gurdwara ;

(5) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ; and

(6) ["road" means a metalled road maintained by the Provincial Government or by a local authority or a route demarcated by the Provincial Government or a local authority with a view to constructing along it a metalled road.][1]

Declaration of Controlled area.

3. (1) The Provincial Government may, by notification in the official Gazette, declare any land within a distance of four hundred and forty yards from the centre line of any road to be a controlled area for the purposes of this Act.

[Provided that in the case of a national highway the highway itself shall not be deemed to be a controlled area.][2]

(2) Not less than three months before making a declaration under sub-section (1) the Provincial Government shall cause to be published in the official Gazette and in at least two newspapers printed in a language other than English a notification stating that they propose to make such a declaration and specifying therein the boundaries of the land in respect of which the declaration is proposed to be made, and copies of every such notification or of the substance thereof shall be published by the Collector in such manner as he thinks fit at his office and at such other places as he considers necessary within the said boundaries.

(3) Any person interested in any land included within the said boundaries may, at any time before the expiration of thirty days from the last date on which a copy of such notification in published by the Collector, object to the making of the declaration or to the inclusion of his land or any part of it within the said boundaries.

(4) Every objection under Sub-section (3) shall be made to the Collector, in writing, and the Collector shall give to every person so objecting an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner, and shall, after all such objections have been heard and after such further enquiry, if any, as he thinks necessary, forward to the Provincial Government the record of the, proceedings held by him together with a report setting forth his recommendations on the objections.

(5) If before the expiration of the time allowed by sub-section (3) for the filing of objections no objection has been made, the Provincial

1 Substituted by s. 2 of U.P.Act No. 6 of 1965.
2 Inserted by s. 3 of U.P.Act No. 6 of 1965.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Government may proceed at once to the making of a declaration under sub-section (1). If any such objections have been made, the Provincial Government shall consider the record and the report referred to in sub-section (4) and may either -

(a) abandon the proposal to make a declaration under sub-section (1), or

(b) make such a declaration in respect of either the whole or a part of the land included within the boundaries specified in the notification under sub-section (2).

(6) For the purposes of sub-section (3) a person shall be deemed to be interested in land if he is a "person interested" as defined in clause (b) of section 3 of the Land Acquisition Act, 1894, for the purposes of that Act or, where land is land occupied by or for the purposes of a place of worship, tomb, cenotaph, graveyard, grave or marghat, if he is a member of the faith to which such building pertains.

(7) [A notification published in the Official Gazette purporting to be made under sub-section (1) shall be conclusive proof that the declaration contained in such notification has been duly made in accordance with provisions of this Act, and unless and until such declaration is withindrawn, that the area to which it relates is a controlled area.][1]

(8) [Any notification issued or declaration made under this section with reference to a road which subsequently becomes a national highway under the National Highways Act, 1956, shall, notwithstanding the road so becoming a national highway, continue to be valid and to be in force.][2]

Plans of controlled areas to be deposited at certain offices.

4. (1) The Collector shall deposit at his office and at such other places as he considers necessary, plans showing all lands declared to be controlled areas for the purposes of this Act, and setting forth the nature of the restrictions applicable to the land in any such controlled area.

(2) The plans so deposited shall be available to the public for inspection free of charge at all reasonable times.

Restrictions on building etc., in a controlled area.

5- [Notwithstanding anything contained in any other law for the time being inforce, -

(a) no person shall erect or re-erect any building, or make or extend any excavation in a controlled area ; and

(b) no person shall except with the previous permission of the Collector in writing, lay out any means of access to a road in controlled area.][3]

1 Substituted by s. 2 of U.P.Act No. 22 of 1975.

2 Inserted by s. 3 of U.P.Act No. 6 of 1965.

3 Substituted by s. 2 of U.P.Act No. 15 of 2000.

6. (1) Every person desiring to obtain the permission referred to in section 5 shall make an application in writing to the Collector in such form and containing such information in respect of the [1][*****][1] means of access to which the application relates as may be prescribed.

Application for permission to build, etc. and the grant or refusal of such permission.

(2) On receipt of such application, the Collector after making such enquiry, as he considers necessary, shall, by order in writing, either-

(a) grant the permission, subject to such conditions if any, as may be specified in the order ; or

(b) refuse to grant such permission.

(3) When the Collector grants permission subject to conditions under Clause (a) of Sub-section (2) or refuses to grant permission under Clause (b) of sub-section (2), the conditions imposed or the grounds of refusal shall be such as are reasonable having regard to the circumstances of each case.

(4) [*******][2]

(5) [*******][3]

(6) If at the expiration of a period of three months after an application under sub-section (1) has been made to the Collector [the applicant may give a notice in writing to the Collector and if no order is passed within thirty days from the date of receipt of such notice][4] permission shall be deemed to have been given without the imposition of any conditions.

(7) The Collector shall maintain a register with sufficient particulars of all permissions given by him under this section and the register shall be available for inspection without charge by all persons interested and such persons shall be entitled to take extracts therefrom.

7. (1) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section(2) of section 6 granting permission subject to conditions or refusing permission may within thirty days from the date of such order prefer an appeal to the Provincial Government.

Right of appeal.

(2) The order of the Provincial Government on appeal shall be final.

8. [(1) Except as provided in sub-section (2), no person shall be entitled to claim compensation under this or any other Act, for any injury, damage or loss caused or alleged to have been caused,-

Compensation.

(a) as a result of the restriction imposed by clause (a) of section 5,

1 Omitted by s. 3 of U.P.Act No. 15 of 2000.
2 Omitted by s. 3 of U.P.Act No. 15 of 2000.
3 Omitted by s. 3 of U.P.Act No. 15 of 2000.
4 Inserted by s. 3 of U.P. Act No. 15 of 2000.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

or

(b) by an order refusing permission to lay out a mean access to a road or granting such permission but imposing conditions on the grant.

(2) Any person may make to the State Government a claim for compensation on the ground that his interest in any land is injuriously affected,-

(a) in a case referred to in clause (a) of sub-section (1), within one year from the date of declaration of the controlled area;

(b) in a case referred to in clause (b) of sub-section (1) within three months from the date of the order of the State Government under section 7 where an order refusing permission to lay out any means of aceess to a road has been made and the right appeal under section 7 has been exercised.][1]

(3) On receipt of a claim under sub-section (2) the Provincial Government shall either proceed to acquire the land concerned under the Land Acquisition Act, 1894, or transfer the claim for disposal to an officer exercising the powers of a Collector under the said Act :

Provided that in case the Provincial Government decide to acquire the land, (i) it shall not be necessary for land occupied by a place of workship, tomb, cenotaph, graveyard, grave or marghat to be included, and (ii) the claimant shall be entitled to be repaid by the acquiring authority the amount of expense which he may have properly incurred in connexion with the preparation and submission of his claim for compensation under this section, and in default of agreement such a amount shall be determined by the authority deciding the value of the land in the proceedings under the Land Acquisition Act, 1894.

(4) Nothing in this section shall be deemed to preclude the settlement of a claim by mutual agreement.

Compulsory acquisition

9. If the Provincial Government decide to acquire the land under the Land Acquisition Act, 1894, then, notwithstanding anything contained in that Act,-

(i) proceeding under Section 5-A of that Act shall not be required;

(ii) the notification under Section 6 of that act shall be published within six months from the date of institution of the claim, failing which the claim shall be transferred for disposal to an officer exercising the powers of a Collector under that Act ;

(iii) the market value of the land shall be assessed in accordance with the provisions of the Land Acquisition act, 1894,

1 Substituted by s. 4 of U.P.Act No. 15 of 2000.

which shall, for the purposes of this act, be deemed to be modified as indicated in the Schedule annexed to this Act.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Amount of Compensation now determined.

10. (1) When a claim is transferred for disposal under section 8 or section 9 to an officer exercising the powers of a Collector under the Land Acquisition act, 1894, such officer shall make an award determining the amount of compensation, if any, payable to the claimant.

(2) The amount of compensation awarded under sub-section (1) shall in no case exceed -

(a) the amount that would have been payable if the land had been acquired under section 9, or

(b) the difference between the market value of the land in the existing condition having regard to the restrictions actually imposed upon its use and development by the order refusing permission to [lay out any means of access to a road in respect of the land, or the restriction imposed under clause (a) of section 5][1] and its market value immediately before the publication under sub-section (2) of section 3 of the notification in pursuance of which the area [concerned][2] was declared to be a controlled area,

and no compensation shall be awarded under sub-section (1) -

(i) unless the claimant satisfied the officer making the award that [his interest in the land concerned is][3] injuriously affected by the restriction imposed under this Act, or

(ii) if and insofar as the land is subject to substantially similar restrictions in force under some other enactment which were so in force at the date when the restrictions were imposed under this Act, or

(iii) if compensation in respect of the same restrictions in force under this Act or of substantially similar restrictions in force under some other enactment has already been paid in respect of the land to the claimant or to any predecessor in interest of the claimant.

(3) The provisions of Part III, as modified by section 9, clause (iii) and the schedule annexed to this Act, and Parts IV, V and VIII of the Land Acquisition Act, 1894, shall so far as may be apply to an award made under sub-section (1) as though it were an award made under that Act.

1 Substituted by s. 5 of U.P.Act No. 15 of 2000.
2 Substituted by s. 5 of U.P.Act No. 15 of 2000.
3 Substituted by s. 5 of U.P.Act No. 15 of 2000.

Saving for other enactment

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

11. Nothing in this Act shall affect the power of any authority to acquire land or to impose restrictions upon the use and development of land under any other, enactment for the time being in force.

Prohibition of use of any land as a brick-field, etc, without license.

12. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no land within a controlled area shall be used for the purposes of a charcoal-kiln, pottery-kiln or lime-kiln and no land within a controlled area shall be used for the purposes of brick-field or brick-kiln except under, and in accordance, with the conditions of, a licence from the Collector which shall be renewable annually.

(2) The Provincial Government may charge such fees for the grant and renewal of such licenses and may impose such conditions in respect thereof as may be prescribed.

(3) No person shall be entitled to claim compensation under this or any other Act for any injury, damage or loss caused or alleged to have been caused by the refusal of a licence under sub-section (1).

Offences and penalties.

13. (1) Any person who-

(a) erects or re-erects any building or makes or extends any excavation or lays out any means of access to a road in contravention of the provisions of section 5 or in contravention of any conditions imposed by an order under section 6 or section 7, or

(b) uses any land in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 12, shall be punishable with fine [1][which, on first conviction, may extend][1] to five hundred rupees and, in the case of a continuing contravention, with a further fine which may extend to [five hundred rupees for every day subject to a maximum of fifty thousand rupees][2] after the date of the first convection during which he is proved to have persisted in the contravention.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Collector may order any person who has committed a breach of the provisions of the said sub-section to restore to its original state or to bring into conformity with the conditions which have been violated, as the case may be, any building or land in respect of which a contravention such as is described in the said sub-section has been committed, and if such person fails to do so within three months of the order, may himself take such measures as may appear to him to be necessary to give effect to the order, and the cost of such measures shall be recoverable from such person as arrear of land revenue.

---

1 Subsitituted by s. 6 of U.P.Act No. 15 of 2000.

2 Subsitituted by s. 6 of U.P.Act No. 15 of 2000.

14. No Court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act. **Trial of Offences.**

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

15. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act. **Protection of persons acting under this Act.**

16. Nothing in this Act shall apply to- **Savings**

(a) the erection or re-erection of buildings upon land included in the inhabited site of any village as entered and demarcated in the revenue records or upon sites in a municipal, notified, or town area that are already built up on the date of the issue of the notification under sub-section (2) of section 3 of this Act;

(b) the erection or re-erection of a place of worship or a tomb, cenotaph, grave, graveyard, or marghat or of a wall enclosing a place of worship, tomb, cenotaph, grave, graveyard, or marghat on land which is, at the time a notification under sub-section (2) of Section 3 is published by the Provincial Government, occupied by or for the purposes of such place of worship, tomb, cenotaph, grave, graveyard, or marghat;

(c) excavations (including wells) made in the ordinary course of agricultural operations;

(d) the construction of an unmetalled road intended to give access to land solely for agricultural purposes.

17. (1) The Provincial Government may make rules to carry out the purposes of this Act. **Power to make rules.**

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matter, namely:

(a) the form in which applications under sub-section (1) of section 6 shall be made and the information to be furnished in such applications;

(b) principles according to which applications under sub-section (1) of section 6 shall normally be allowed or disallowed by the Collector;

(c) the regulation of the laying out of means of access to roads;

(d) the fees to be charged for the grant and renewal of licences under Section 12 and the conditions governing such licences.

(3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication in the official Gazette and the date to

be specified under Clause(3) of Section 23 of the United Provinces General Clauses Act, 1904, shall not be less than two months from the date on which the draft of the proposed rules was published.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

THE SCHEDULE

[Referred to in section 9 (iii)]

Modification in the Land Acquisition Act, 1894 (hereinafter called "The said Act,")

I of 1894

1. In Section 15 of the said Act, for the word and figures "and 24" the figures, word, and the letter "24 and 24A", preceded by a comma, shall be deemed to be substituted.

Amendment of Section 15

2. In Sub-section (3) of Section 17 of the said Act, after the figures "24" the words, figures, and letter "or Section 24A", shall be deemed to be inserted.

Amendment of Section 17.

3. (1) In clause first and clause sixthly of sub-section (1) of section 23 of the said Act, for the words "publication of the notification under section 4, sub-section (1)" and the words "publication of the declaration under section 6" the following words shall be deemed to be substituted, namely,

Amendment of Section 23

"publication of the notification under Sub-section (2) of Section 3 of the United Provinces Roadside Land Control Act, 1945."

U.P.Act of 1945

(2) At the end of section 23 of the said Act, the following shall be deemed to be added, namely :

"(3) For the purposes of clause (first) of sub-section (1) of this section-

(a) the market value of the land shall be the market value according to the use to which the land was put at the date with reference to which the market value is to be determined under that clause;

(b) if it be shown that before such date the owner of the land had in good faith taken active steps and incurred expenditure to secure a more profitable use of the same, further compensation based on his actual loss may be paid to him;

(c) [any increase in the market value resulting from any erection re-erection, addition or alteration in contravention of the provisions of section 5 of the United Provinces Roadside

Land Control Act, 1945 shall be disregarded.][1]

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(d) if the market value has been increased by means of any improvement made by the owner or his predecessor in interest within two years before the aforesaid date, such increase shall be disregarded unless it be proved that the improvement so made was made in good faith and not in contemplation of proceedings for the acquisition of the land being taken under this Act ;

(e) if the market value is specially high in consequence of the land being put to a use which is unlawful or contrary to public policy, that use shall be disregarded and the market value shall be deemed to be the market value of the land if put to ordinary uses; and

(f) when the owner of the land or building has after passing of the United Provinces Roadside Land Control Act, 1945, and within two years preceding the date with reference to which the market value is to be determined, made a return under section 158 of the United Provinces Municipalities Act, 1916, of the rent of the land or building the rent of the land or building shall not in any case be deemed to be greater than the rent shown in the latest return so made, save as the Court may otherwise direct and the market value may be determined on the basis of such rent:

Provided that where any addition to, or improvement of the land or building has been made after the date of such latest return and previous to the date with reference to which the market value is to be determined, the Court may take into consideration any increase in the letting value of the land due to such addition or improvement.

4. For clause seventhly of Section 24 of the said Act, the following shall be deemed to be substituted, namely, - Amendment of Section 24.

"seventhly, any outlay on additions or improvements to land acquired which was incurred after the date with reference to which the market value is to be determined, unless such additions or improvements were necessary for the maintenance of any building in a proper state of repair ."

5. After section 24 of the said Act, the following shall be deemed to be inserted, namely : New Section 24-A.

"24-A. In determining the amount of compensation to be awarded for any land acquired under this Act, the court shall Further provision for determining

1 Substituted by s.7 of U.P.Act No. 15 of 2000.

also have regard to the following provisions, namely,- compensation.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(1) when any interest in any land acquired under this Act has been acquired after the date with reference to which the market value is to be determined, no separate estimate of the value of such interest shall be made so as to increase the amount of compensation to be paid for such land;

(2) if, in the opinion of the court, any building is in a defective state, from a sanitary point of view, or is not in a reasonably good state of repair, the amount of compensation for such building shall not exceed the sum which the court considers the building would be worth if it were put into a sanitary condition or into a reasonably good state of repair, as the case may be minus the estimated cost of putting it into such conditions or state;

(3) if, in the opinion of the court, any building which is used or is intended or is likely to be used for human habitation, is not reasonably capable of being made fit for human habitation, the amount of compensation for such building shall not exceed the value of the materials of the building, minus the cost of demolishing the building."

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग–1
संख्याः 4294 / 17–46(विधायिका)–1970
लखनऊः 18 दिसम्बर, 1972

अधिसूचना

विविध

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1969 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1969) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में राज्यपाल मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में पारित 'द यूनाइटेड प्राविन्सेज रोडसाइड लैण्ड कंट्रोल ऐक्ट, 1945' (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10, 1945) का हिन्दी भाषा में अनुवाद एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं।

संयुक्त प्रान्त सड़क–पार्श्व–भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945[1]

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10, 1945)

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में सड़क–पार्श्व–भूमि के उपयोग का विनियमन किया जाय ;

और, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 93 के अधीन प्रख्यापित दिनांक 3 नवम्बर, 1939 की उद्घोषणा द्वारा संयुक्त प्रान्त के गवर्नर ने पूर्वोक्त ऐक्ट द्वारा या उसके अधीन प्रान्तीय विधान मण्डल में निहित समस्त शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लिया है ;

और उक्त उद्घोषणा अब भी प्रचलित है ;

अतएव, अब, गवर्नर पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित अधिनियम बनाते हैं :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त सड़क–पार्श्व–भूमिनियंत्रण अधिनियम, 1945 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार कैन्टोनमेन्ट क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नियत करे।

निर्वचन

2–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में,–

(1) ''कृषि'' के अन्तर्गत उद्यान कृषि तथा फलोद्यानों का रोपण और उनकी देखरेख भी है ;

(2) ''भवन'' का तात्पर्य किसी मकान, झोपड़ी, सायबान या

1 उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 01 सितम्बर, 1945 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

अन्य छतदार संरचना से, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से निर्मित हो, तथा उसके प्रत्येक भाग से है, और इसके अन्तर्गत कोई दीवाल या पक्का चबूतरा या पक्की खाई या नाली भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा ही अन्य सुबाह्य और केवल अस्थायी आश्रय स्थल नहीं है ;

(3) ''कलेक्टर'' के अन्तर्गत कोई ऐसा प्राधिकारी भी है जिसे इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के समस्त या किन्हीं कृत्यों को करने के लिये राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नियुक्त करें ;

(4) ''उपासना–स्थान'' के अन्तर्गत कोई मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, इमामबाड़ा, दरगाह, कर्बला, तकिया, ईदगाह, समाधि, मठ, सती का थान या गुरूद्वारा भी है ;

(5) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ; और

[(6) ''सड़क'' का तात्पर्य राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघारित पक्की सड़क या मार्ग पर पक्की सड़क बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सीमांकित मार्ग से है और इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ भी है।][1]

नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा

3– (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी सड़क की मध्य रेखा से चार सौ चालीस गज के भीतर की किसी भी भूमि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर सकेगी :

[प्रतिबन्ध यह है कि राष्ट्रीय राजपथ की दशा में, सड़क को ही नियंत्रित क्षेत्र नहीं समझा जायगा।][2]

(2) राज्य सरकार उप–धारा (1) के अधीन कोई घोषणा करने से कम से कम तीन मास पूर्व सरकारी गजट में तथा अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में मुद्रित किए जाने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायेगी जिसमें यह कथित होगा कि वह ऐसी घोषणा करने की प्रस्थापना करती है और उसमें उस भूमि की सीमायें विनिर्निष्ट होंगी जिसके सम्बन्ध में ऐसी घोषणा करने की प्रस्थापना है और प्रत्येक ऐसी विज्ञप्ति की या उसके सार की प्रतियां कलेक्टर द्वारा अपने कार्यालय में तथा उक्त सीमाओं के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझें, ऐसी रीति से, जिसे वह ठीक समझे, प्रकाशित की जायेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो उक्त सीमाओं में सम्मिलित किसी भूमि में

---

1 उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 6, 1965 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 6, 1965 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

हितबद्ध हो, घोषणा किये जाने या उक्त सीमाओं के भीतर अपनी भूमि या उसका कोई भाग सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, उस अंतिम दिनांक से जबकि कलेक्टर द्वारा ऐसी विज्ञप्ति की प्रति प्रकाशित की जाय, तीस दिन के अवसान के पूर्व किसी भी समय, आपत्ति कर सकेगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन प्रत्येक आपत्ति कलेक्टर को लिखित रूप में की जायेगी, और कलेक्टर इस प्रकार आपत्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को या तो स्वयं उसको अथवा किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का, अवसर देगा तथा ऐसी समस्त आपत्तियों की सुनवाई किये जाने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच के, यदि कोई हो, पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अपने द्वारा की गई कार्यवाहियों का अभिलेख, ऐसी रिपोर्ट सहित जिसमें आपत्तियों के सम्बन्ध में उसकी सिफारिशें दी गई हों, भेजेगा।

(5) यदि आपत्तियों के प्रस्तुत किये जाने के लिए उप–धारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के अवसान के पूर्व कोई भी आपत्ति न की गई हो तो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने की कार्यवाही तुरन्त कर सकेगी। यदि ऐसी कोई आपत्तियां की गई हों तो राज्य सरकार उपधारा (4) में निर्दिष्ट अभिलेख तथा रिपोर्ट पर विचार करेगी और या तो–

(क) उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने की प्रस्थापना का परित्याग कर सकेगी, या

(ख) उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सम्मिलित सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा कर सकेगी।

(6) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भूमि में हितबद्ध उस दशा में समझा जायगा जब वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खण्ड (ख) में, उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यथापरिभाषित ''हितबद्ध व्यक्ति'' हो या जहॉ कि वह भूमि ऐसी भूमि हो जो किसी उपासना–स्थान, मकबरा, छतरी, कब्रिस्तान, कब्र या मरघट के या उसके प्रयोजनों के लिए अधिभोग में हो तो उस दशा में समझा जायेगा जब वह ऐसे मत का अनुयायी हो जिससे वह भवन सम्बन्धित हो।

[(7) सरकारी गजट में प्रकाशित कोई विज्ञप्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसी विज्ञप्ति में दी गई घोषणा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक रूप से की गई है, और जब तक कि ऐसी घोषणा वापस न ली जाय, तब तक वह क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में वह है एक नियंत्रित क्षेत्र है।][1]

[(8) ऐसी सड़क के सम्बन्ध में, जो बाद में नेशनल हाईवेज ऐक्ट,

1 उ0प्र0 अधिनियम सं0 22, 1975 की धारा 2 के द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1956 के अधीन राष्ट्रीय राजपथ हो जाय, इस धारा के अधीन जारी की गई कोई विज्ञप्ति अथवा की गई कोई घोषणा, सड़क के इस प्रकार राष्ट्रीय राजपथ हो जाने पर भी, वैध बनी रहेगी तथा प्रचलित रहेगी।][1]

नियंत्रित क्षेत्रों के नक्शों का कतिपय कार्यालयों में जमा किया जाना

4–(1) कलेक्टर अपने कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों में जिन्हें वह आवश्यक समझे, नक्शे जमा करेगा जिनमें ऐसी समस्त भूमियां दिखाई गई होंगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र घोषित की गयी हों, और जिनमें ऐसे किसी भी नियंत्रित क्षेत्र में भूमि पर लागू होने वाले निर्बन्धनों का स्वरूप दिया गया हो।

(2) इस प्रकार जमा किये गये नक्शे सभी युक्तियुक्त समयों पर जनता को निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे।

किसी नियंत्रित क्षेत्र में भवन आदि पर निर्बन्धन

[5– तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) कोई भी व्यक्ति किसी नियंत्रित क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या कोई उत्खनन या उसका विस्तार नहीं करेगा ; और

(ख) कोई भी व्यक्ति कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, किसी नियंत्रित क्षेत्र में, सड़क तक पहुंचने के लिये किसी साधन का अभिन्यास नहीं करेगा।][2]

निर्माण आदि करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन तथा ऐसी अनुज्ञा का अनुदत्त किया जाना अथवा अनुदत्त करने से इन्कार किया जाना

6– (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 5 में निर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने का इच्छुक हो, कलेक्टर को लिखित आवेदन ऐसे प्रपत्र में देगा और उसमें उस [****][3] पहुंचने के साधन के, जिससे आवेदन सम्बन्धित हो, सम्बन्ध में ऐसी जानकारी दी जायगी जो विहित की जाए।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, ऐसी जांच के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा या तो–

(क) ऐसी शर्तो के, यदि कोई हों, अधीन जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अनुज्ञा अनुदत्त करेगा, या

(ख) ऐसी अनुज्ञा अनुदत्त करने से इन्कार करेगा।

(3) जब कलेक्टर उप–धारा (2) के खण्ड(क) के अन्तर्गत अनुज्ञा शर्तो के अधीन अनुदत्त करे या उप–धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त करने से इन्कार करे तो अधिरोपित शर्ते या इन्कार करने के आधार ऐसे होंगे जो, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त हों।

(4) [*****][4]

---

1 उ0प्र0 अधिनियम सं0 6, 1965 की धारा 3 के द्वारा प्रतिस्थापित।
2 उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 2000 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3 उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 2000 की धारा 3 के द्वारा निकाला गया।
4 उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 2000 की धारा 3 के द्वारा निकाला गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5) [*****][1]

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर को आवेदन दिये जाने के पश्चात तीन मास की अवधि का अवसान हो जाने पर कलेक्टर द्वारा कोई लिखित आदेश न दिया गया हो [आवेदक कलेक्टर को लिखित नोटिस दे सकता है और यदि ऐसी नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कोई आदेश न दिया जाय][2] तो यह समझा जायेगा कि ऐसी अनुज्ञा कोई शर्ते अधिरोपित किये बिना ही दे दी गयी है।

(7) कलेक्टर एक रजिस्टर रखेगा जिसमें इस धारा के अधीन उसके द्वारा दी गई समस्त अनुज्ञाओं की पर्याप्त विशिष्टियां दी जायेगी और वह रजिस्टर समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगा तथा ऐसे व्यक्ति उससे उद्धरण लेने के हकदार होंगे।

अपील का अधिकार

7– (1) कोई व्यक्ति जो कलेक्टर के धारा 6 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत शर्तो के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त करने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने के आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(2) अपील पर राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।

प्रतिकर

[8–(1) उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी क्षति, नुकसान या हानि के लिए जो –

(क) धारा 5 के खण्ड (क) द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन के परिणामस्वरूप, या

(ख) किसी सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन का अभिन्यास करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले या ऐसी अनुज्ञा अनुदत्त कर देने किन्तु उसके साथ शर्ते अधिरोपित करने वाले किसी आदेश द्वारा,

हुई हो या हुई अभिकथित हो, इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति –

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले में, नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष के भीतर ;

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 7 के अधीन राज्य सरकार के आदेश के दिनांक से, जहां किसी सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन का अभिन्यास

1 उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 2000 की धारा 3 के द्वारा निकाला गया।
2 उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 2000 की धारा 3 के द्वारा जोडा गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने का आदेश दिया गया हो और धारा 7 के अधीन अपील के अधिकार का प्रयोग किया गया हो, तीन मास के भीतर,

राज्य सरकार को इस आधार पर प्रतिकर का दावा प्रस्तुत कर सकता है कि सम्बन्धित भूमि में उसके हित पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ा है।][1]

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई दावा प्राप्त होने पर राज्य सरकार या तो सम्बन्धित भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित करने की कार्यवाही करेगी या उस दावे को किसी ऐसे अधिकारी की निस्तारण के लिये अन्तरित करेगी जो उक्त अधिनियम के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जब राज्य सरकार भूमि अर्जित करने का विनिश्चय करे तो (1) किसी उपासना–स्थान, मकबरा, छतरी, कब्रिस्तान, कब्र या मरघट के अधिभोग में की भूमि को सम्मिलित करना आवश्यक न होगा और (2) दावेदार अर्जक प्राधिकारी से उस व्यय की रकम को पाने का हकदार होगा जो उसने इस धारा के अधीन प्रतिकर पाने के लिये अपना दावा तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उचित रूप से किया हो, और करार के अभाव में, ऐसी रकम भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन की कार्यवाही में भूमि का मूल्य विनिश्चित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी।

(4) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह किसी दावे का निपटारा पारस्परिक करार द्वारा किया जाना प्रवारित करती है।

अनिवार्य अर्जन

9– यदि राज्य सरकार भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित करने का विनिश्चय करती है तो उस अधिनियम मे ंकिसी बात के होते हुए भी, –

(1) उस अधिनियम की धारा 5–क के अधीन कार्यवाही अपेक्षित न होगी ;

(2) उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचना, दावा संस्थित किये जाने के दिनांक से छः मास के भीतर प्रकाशित की जायेगी और ऐसा न होने की दशा में दावा निस्तारण के लिये उस अधिकारी को अन्तरित कर दिया जायगा जो उस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करता हो ;

(3) भूमि का बाजार मूल्य भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया जायगा, जो इस अधिनियम के

1 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रयोजन के लिये इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में उपदर्शित रूप से परिष्कृत समझा जायेगा।

प्रतिकर की रकम किस प्रकार निर्धारित की जायेगी

10—(1) जब कोई दावा धारा 8 या धारा 9 के अधीन निस्तारण के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी को अन्तरित किया जाय तो ऐसा अधिकारी दावेदार को देय प्रतिकर की रकम, यदि कोई हो, अवधारित करते हुए अधिनिर्णय देगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम किसी भी दशा में निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी–

(क) वह रकम जो धारा 9 के अधीन भूमि अर्जित किये जाने की दशा में देय होती, या

(ख) [1][भूमि या धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन अधिरोपित किये गये निर्बन्धनों के सम्बन्ध में किसी सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन के अभिन्यास][1] की अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले आदेश द्वारा उस भूमि के उपयोग और विकास पर वास्तव में अधिरोपित किये गये निर्बन्धनों को ध्यान में रखते हुए भूमि की वर्तमान दशा में उसके बाजार मूल्य तथा धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के जिसके अनुसरण में [2][सम्बन्धित क्षेत्र][2] नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया हो, ठीक पूर्व के बाजार मूल्य का अन्तर,

और उप–धारा (1) के अधीन कोई प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया जायेगा –

(1) जब तक कि दावेदार अधिनिर्णय देने वाले अधिकारी का यह समाधान न कर दे कि [3][इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों से सम्बन्धित भूमि में उसका हित क्षतिकारक रूप से प्रभावित हुआ है,][3] अथवा

(2) यदि और जहां तक कि वह भूमि किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रवृत्त सारतः समान ऐसे निर्बन्धनों के अधीन हो जो इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धनों के अधिरोपित किये जाने के दिनांक को इस प्रकार प्रवृत्त थे, अथवा

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन प्रवृत्त समान निर्बन्धनों या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रवृत्त सारतः समान निर्बन्धनों के सम्बन्ध में दावेदार को या हित में दावेदार के किसी पूर्वाधिकारी को

---

1 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भूमि के लिये प्रतिकर का पहिले ही भुगतान किया जा चुका हो।

(3) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के भाग 3 के उपबन्ध, जैसे कि वे धारा 9 के खण्ड (3) तथा इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची द्वारा परिष्कृत किये गये हैं तथा उस अधिनियम के भाग 4, 5 और 8 के उपबन्ध, यथाशक्य, उपधारा (1) के अधीन दिये गये अधिनिर्णय पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उक्त अधिनियम के अधीन दिया गया कोई अधिनिर्णय हो।

अन्य अधिनियमितियों के लिये व्यावृत्ति

11— इस अधिनियम की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भूमि अर्जित करने की या भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बन्धन अधिरोपित करने की किसी प्राधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

लाइसेंस के बिना किसी भूमि का ईट तैयार करने के क्षेत्र आदि के रूप में उपयोग करने का प्रतिषेध

12—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि का उपयोग लकड़ी के कोयले के भट्ठे आंवे या चूने के भट्ठे के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायगा और किसी नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि का उपयोग ईट तैयार करने के क्षेत्र या ईट के भट्ठे के प्रयोजनों के लिये, कलेक्टर से प्राप्त किसी लाइसेंस, जो प्रतिवर्ष नवीकरणीय होगा, के अधीन और उसकी शर्तो के अनुसार ही किया जायगा, अन्यथा नहीं।

(2) राज्य सरकार ऐसे लाइसेंसों को अनुदत्त करने तथा उनके नवीकरण के लिये ऐसी फीस ले सकेगी और उसके सम्बन्ध में ऐसी शर्ते अधिरोपित कर सकेगी जो विहित की जायं।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी क्षति, नुकसान या हानि के लिये जो उप—धारा (1) के अधीन लाइसेंस देने से इन्कार किये जाने के कारण हुई हो या हुई अभिकथित हो, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार न होगा।

अपराध और शास्तियां

13— (1) कोई व्यक्ति जो—

(क) धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके या धारा 6 अथवा धारा 7 के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिरोपित किन्हीं शर्तो का उल्लंघन करके किसी भवन का परिनिर्माण अथवा पुनः परिनिर्माण करेगा या कोई उत्खनन करेगा या उसका विस्तार करेगा या किसी सड़क तक पहुंचने के लिये किसी साधन का अभिन्यास करेगा, या

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी भूमि का प्रयोग करेगा,

[वह जुर्माने से जो, प्रथम दोषसिद्धि पर, पांच सौ रूपए][1] तक हो सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम

---

1 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दोष–सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके बारे में यह साबित हो जाय कि वह उसके दौरान उल्लंघन करता रहा है, [पांच सौ रूपये जो अधिकतम पचास हजार रूपये तक] [1] हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उक्त उप–धारा के उपबन्धों को भंग किया हो, किसी भवन या भूमि को, जिसके सम्बन्ध में उक्त उप–धारा में यथा वर्णित कोई उल्लंघन किया गया हो, यथास्थिति, उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित करने का या उसे उन शर्तो के समनुरूप लाने का, जिनका अतिलंघन किया गया हो, आदेश दे सकेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आदेश के तीन मास के भीतर ऐसा न करे तो वह स्वयं ऐसी कार्रवाई कर सकेगा कि जो उक्त आदेश को कार्यान्वित करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हो, तथा ऐसी कार्रवाई का व्यय ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

अपराधों का विचारण

14–प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों के लिए परित्राण

15–कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई हो अथवा की जाने के लिये आशयित हो, किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

अपवाद

16– इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी–

(क) राजस्व अभिलेखों में यथा प्रविष्ट तथा सीमांकित किसी ऐसी भूमि पर, जो किसी गांव के बस्ती वाले स्थल में सम्मिलित हो या किसी नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में के स्थलों पर, ऐसे भवनों का परिनिर्माण अथवा पुनः परिनिर्माण जो इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक को निर्मित हो चुके हों ;

(ख) किसी ऐसी भूमि पर जो राज्य सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के समय किसी उपासना–स्थान या मकबरा, छतरी, कब्र, कब्रिस्तान या मरघट के या उनके प्रयोजनों के लिये अधिभोग में हो, किसी उपासना–स्थान या मकबरा, छतरी, कब्र, कब्रिस्तान या मरघट का या किसी उपासना–स्थान, या मकबरा, छतरी, कब्र, कब्रिस्तान या मरघट को घेरने वाली किसी दीवाल का

---

1 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण ;

(ग) कृषि सम्बन्धी संक्रियाओं के (जिनके अन्तर्गत कुयें भी हैं) सामान्य अनुक्रम में किये गये उत्खनन ; और

(घ) किसी कच्ची सड़क का निर्माण जो केवल कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि तक पहुंच करने के लिए आशयित हो।

नियम बनाने की शक्ति

17—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात :

(क) वह प्रपत्र जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन दिये जायेगे तथा ऐसे आवेदनों में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी ;

(ख) वे सिद्धान्त जिनके अनुसार धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन कलेक्टर द्वारा सामान्यतया स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जायेंगे ;

(ग) सड़कों तक पहुंचने के साधनों का अभिन्यास करने का विनियमन ; और

(घ) धारा 12 के अधीन लाइसेंसों के अनुवृत्त किये जाने तथा उनके नवीकरण के लिये ली जाने वाली फीस तथा ऐसे लाइसेंसों को शासित करने वाली शर्तें।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे तथा यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज एक्ट, 1904 की धारा 23 के खण्ड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाने वाला दिनांक उस दिनांक से दो मास से कम का न होगा जबकि प्रस्थापित नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया हो।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अनुसूची

(धारा 9 (3) में निर्दिष्ट)

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (जिसे एतत्पश्चात् ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) में परिष्कार।

धारा 15 का संशोधन

1–उक्त अधिनियम की धारा 15 में शब्द तथा अंक ''और 24'' के स्थान पर अंक, शब्द तथा अक्षर ''24 और 24–क'' जिनके ठीक पूर्व कामा लगा होगा, प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

2–उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (3) में अंक ''24'' के पश्चात शब्द, अंक तथा अक्षर ''या धारा 24–क'' रखे गये समझे जायेंगे।

3–(1) उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रथम तथा षष्टम खण्ड में शब्द ''धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशन'' तथा शब्द ''धारा 6 के अधीन घोषणा के प्रकाशन'' के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे, अर्थात–

''संयुक्त प्रान्त सड़क–पार्श्व–भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन''

(2) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्त में निम्नलिखित बढाया गया समझा जायगा, अर्थात–

''(3) इस धारा की उप धारा (1) के प्रथम खण्ड के प्रयोजनों के लिये–

(क) भूमि का बाजार मूल्य उस उपयोग के अनुसार बाजार मूल्य होगा जो भूमि का उस तारीख को किया गया हो जिसके प्रति निर्देश से उक्त खण्ड के अधीन बाजार मूल्य अवधारित किया जाना है ;

(ख) यदि यह दर्शित किया जाय कि भूमि के स्वामी ने ऐसी तारीख के पूर्व उसका और अधिक लाभप्रद उपयोग उप्राप्त करने के लिये सद्भावपूर्वक सक्रिय कदम उठाये थे और व्यय किया था, तो उसकी वास्तविक हानि पर आधारित उसे और प्रतिकर संदत्त किया जा सकेगा ;

(ग) [1][संयुक्त प्रान्त सड़क–पार्श्व–भूमि नियन्त्रण अधिनियम, 1945 की धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी परिनिर्माण, पुनः परिनिर्माण या परिवर्द्धन या परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में हुई वृद्धि का ध्यान नहीं रखा जायगा ;][1]

(घ) यदि पूर्वोक्त तारीख के पूर्व के दो वर्ष के भीतर स्वामी

---

1 उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

या हित में उसके पूर्वाधिकारी द्वारा कोई अभिवृद्धि किये जाने से बाजार मूल्य में वृद्धि हो गई हो, तो ऐसी वृद्धि का ध्यान नहीं रखा जायेगा जब तक कि यह साबित न हो जाय कि इस प्रकार की गई अभिवृद्धि सद्भावपूर्वक की गई थी और इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन के लिये की जा रही कार्यवाहियों को आसन्न मान कर नहीं की गई थी ;

(ड.) यदि भूमि को किसी ऐसे उपयोग में जो अवैध हो या लोकनीति के प्रतिकूल हो, लाने के परिणामस्वरूप उसका बाजार मूल्य विशेष रूप से ऊँचा हो, तो उस उपयोग का ध्यान नहीं रखा जायेगा और भूमि का बाजार मूल्य वह बाजार मूल्य समझा जायगा जो उसे मामूली उपयोगों में लाने की दशा में होता ; और

(च) जबकि भूमि या निर्माण के स्वामी ने संयुक्त प्रान्त सड़क–पार्श्व–भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 के पारित होने के पश्चात और उस तारीख के, जिसके प्रति निर्देश से बाजार मूल्य अवधारित किया जाना हो, पूर्ववर्ती दो वर्षो के भीतर यूनाइटेड प्राविंसेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 158 के अधीन भूमि या निर्माण के भाटक की विवरणी दी हो तो तब के सिवाय जब न्यायालय अन्यथा निदेश दे, भूमि या निर्माण का भाटक किसी भी दशा में उस भाटक से अधिक न समझा जायगा जो इस प्रकार दी गई नवीनतम विवरणी में दर्शित किया गया हो, और बाजार मूल्य ऐसे भाटक के आधार पर अवधारित किया जा सकेगा :

परन्तु जहां कि भूमि या निर्माण में कोई परिवर्द्धन या अभिवृद्धि ऐसी नवीनतम विवरणी की तारीख के पश्चात, और उस तारीख के पूर्व जिसके प्रति निर्देश से बाजार मूल्य अवधारित किया जाना है, की गई हो तो न्यायालय ऐसे परिवर्द्धन या अभिवृद्धि के कारण भूमि के किरायार्थ मूल्य में हुई किसी वृद्धि को विचार में ले सकेगा।''

धारा 24 का संशोधन

4–उक्त अधिनियम की धारा 24 के सप्तम खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायगा, अर्थात–

''सप्तम, अर्जित भूमि के परिवर्द्धन या अभिवृद्धि पर कोई ऐसी लागत जो उस तारीख के पश्चात उपगत की गयी हो जिसके प्रति निर्देश से बाजार मूल्य अवधारित किया जाना है, जब तक कि ऐसे परिवर्द्धन या ऐसी अभिवृद्धि किसी निर्माण को मरम्मत करके उचित अवस्था में बनाये रखने के लिए आवश्यक न हो।''

नयी धारा 24–क

5–उक्त अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जायगा, अर्थात :

प्रतिकर अवधारित करने के लिए

''24–क–उस प्रतिकर की रकम अवधारित करने में जो इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि के लिये

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अतिरिक्त उपबन्ध अधिनिर्णीत किया जाना है, न्यायालय निम्नलिखित उपबन्धों का भी ध्यान रखेगा, अर्थात–

(1) जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि में कोई हित उस तारीख के पश्चात् अर्जित किया गया हो, जिसके प्रति निर्देश से बाजार मूल्य अवधारित किया जाना है, तो ऐसे हित के मूल्य का अलग से कोई प्राक्कलन इस प्रकार नही किया जायेगा कि ऐसी भूमि के लिये संदत्त किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि में वृद्धि हो जाय ;

(2) यदि न्यायालय की राय में कोई निर्माण स्वच्छता के दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण अवस्था में हो, या मरम्मत कराकर युक्तियुक्त रूप से अच्छी अवस्था में न रखा गया हो तो ऐसे निर्माण के लिये प्रतिकर की रकम उस धनराशि से जिसके समतुल्य मूल्य का वह निर्माण न्यायालय के विचार से उस दशा में होगा जब उसे, यथास्थिति, स्वच्छता की दशा में लाया जाये या मरम्मत कराकर युक्तियुक्त रूप से अच्छी अवस्था में लाया जाये, जिसमें से उसे ऐसी दशा या अवस्था में लाने का प्राक्कलित खर्च घटा दिया जायेगा, अधिक न होगी।

(3) यदि न्यायालय की राय में कोई ऐसा निर्माण जो मानव वासस्थान के लिए उपयोग में लाया जाता हो या उपयोग में लाये जाने के लिये आशयित या संभाव्य हो, युक्तियुक्त रूप से, मानव वासस्थान के लिये ठीक किये जाने के योग्य न हो, तो ऐसे निर्माण के लिए प्रतिकर की रकम निर्माण की सामग्री के मूल्य से जिसमें निर्माण को ढहाने का खर्चा घटा दिया जायगा, अधिक न होगी।''